T.N.A. Teachers' Training College, Harigaon

smt. P.M. Jena   Dt. 23/04/2021

Designation - Asst. Prof.

Sub. - CC 6 (Gender, school & Society)

Course - B.Ed (first year - session - 2020-22)

E. Content = "Gender - role in family, Society & Socialisation"

परिवार, समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका
[Gender-role in Family, Society and Socialisation]

समाज से इतर मनुष्य के जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज में प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं, रुचियों इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इसके बदले बालकों से समाज की भी कुछ आकांक्षायें होती है जिनकी पूर्ति की उनसे आशा की जाती है। बालकों को सर्वप्रथम सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाता है जिससे वे सामाजिक अनुकूलन कर सकें। समाज में अलग-अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं जिनकी अपनी मान्यतायें तथा परम्परायें और विशिष्ट विश्वास तथा संस्कृतियाँ होती हैं जिनके अनुरूप ही समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। लिंगीय आधार पर हमारे समाज में सामाजिकता के मानक तथा आदर्श भिन्न-भिन्न हैं और इस प्रक्रिया में परिवार, जाति, धर्म, प्रचलित संस्कृति तथा संस्कृति, जनसंचार, कानून तथा राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।

समाज एवं समाजीकरण में लिंग की भूमिका परिवार के सन्दर्भ में
(Role of gender in society and socialization with reference to family)

समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका परिवार के सन्दर्भ में अर्थात् परिवार की लिंगीय अवधारणा का प्रभाव किस प्रकार बालकों के समाजीकरण तथा समाज पर पड़ता है। इस विवेचन से पूर्व समाज, समाजीकरण, परिवार तथा लिंग के विषय में परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

समाज एवं समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning and definition of society and socialization)

समाज के लिए अंग्रेजी में 'Society' (सोसायटी) शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः समाज से तात्पर्य मनुष्यों के समूहों के मध्य स्थापित सम्बन्धों के संगठित रूप से है।

समाज के अर्थ के अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषाएँ दृष्टव्य हैं–

1. **टालकॉट पारसन्स** के अनुसार–"समाज मानवीय सम्बन्धों का वह पूर्ण ढाँचा है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक साधनों या सम्बन्धों के द्वारा कार्यरत रहता है।"

"Society may be defined as total complase of human relationship in so for as they grow out of action in term of means and relationship, intrinsic or symbolic."

2. **गिडिंग्स** के अनुसार–"समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के साथ रहते हुए या संबद्ध हैं।"

समाज के प्रकार
(Types of society)

समाज की संरचना सब कहीं एक जैसी नहीं होती। इसके विभाजन के कई आधार हैं, जिनके आधार पर इसके प्रकार अग्रलिखित हैं–

कार्य एवं स्वरूप के आधार पर	समाज के प्रकार	मार्क्स के अनुसार
जनजातीय समाज	परम्परागत समाज	एशियाई समाज
कृषक समाज	बन्द समाज	प्राचीन समाज
औद्योगिक समाज	मुक्त समाज	सामन्तवादी समाज
शिल्पी समाज	सभ्य समाज	पूँजीवादी समाज
	जटिल समाज	
	वर्तमान समाज	

समाज के कार्य
(Society of Functions)

समाज के कई प्रकार के कार्य हैं और इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज की उपयोगिता तथा महत्व एक शिशु से लेकर वृद्ध तक के लिए है। विभिन्न समाजों के कार्यों में कुछ विशिष्टताएँ तथा उनकी मान्यता के अनुरूप कुछ विशेष कार्य होते हैं। यहाँ सम्मिलित रूप से समाज के कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है–

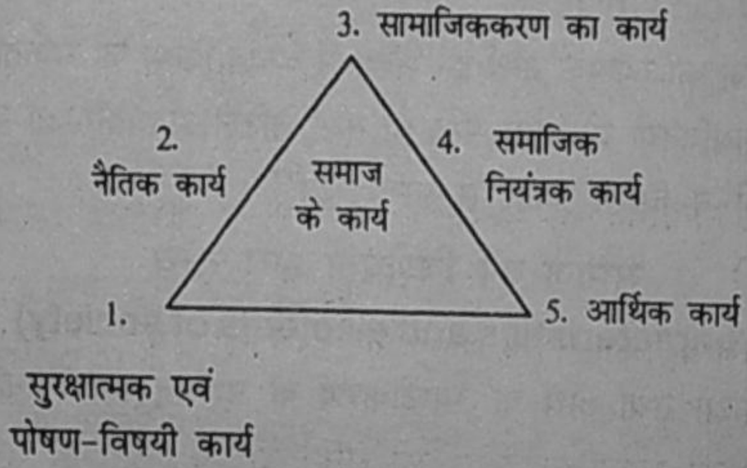

1. सुरक्षात्मक एवं पोषण-विषयी कार्य : समाज में बालक को गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा पोषण और स्वास्थ्य का कार्य भी समाज में रहकर ही सम्पन्न होता है।

2. नैतिक कार्य : समाज अपने नागरिकों में नैतिकता के विकास का कार्य उन्नत आदर्शों, नैतिक वातावरण के सृजन तथा नैतिकता के प्रोत्साहन द्वारा सम्पन्न करता है।

3. समाजीकरण का कार्य : समाज में ही बालक समाजीकरण सीखता है। समाजीकरण के द्वारा ही कोई व्यक्ति समाज का सक्रिय तथा उपयोगी सदस्य बन सकता है।

4. सामाजिक नियन्त्रण का कार्य : समाज अपने व्यक्तियों को नियंत्रित करने का

कार्य करता है। यदि समाज नहीं होता तो लोग अनियन्त्रित तथा स्वच्छन्द हो जाते, परन्तु समाज उन्हें अपने तमाम प्रकार के नियमों द्वारा नियन्त्रित करता है।

5. **आर्थिक कार्य :** समाज अपने नागरिकों के आर्थिक विकास के कार्य हेतु नियमों, आर्थिक संगठनों तथा आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करता है। इस प्रकार समाज के आर्थिक कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

समाज की आवश्यकता एवं महत्त्व
(Need and importance of society)

समाज की आवश्यकता तथा इसके महत्व का आकलन निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है–

1. समाज में रहना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य हेतु आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

2. समाज में रहकर व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।

3. समाज में रहकर व्यक्ति अधिक-से-अधिक अधिगम कर उसका प्रयोग अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकता है।

4. सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक विकास के लिए समाज महत्वपूर्ण है।

5. मनुष्य को समाज में रहकर ही अभिव्यक्ति तथा आत्म-प्रकाशन के अवसर मिलते हैं।

6. समाज में रहकर व्यक्ति परस्पर सहयोग, प्रेम, दया, समानता इत्यादि के व्यवहारों को करना सीखते हैं।

7. समाज अपने नागरिकों को आवश्यक स्वतन्त्रता के साथ-साथ अपना नियन्त्रण भी स्थापित करता है जो महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार समाज के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए समाज के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। समाज के महत्व और उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी की संज्ञा प्रदान की गयी है। समाज के नियमों, परम्पराओं, संस्कृतियों तथा क्रियाकलापों के साथ अनुकूलन करके कदम-से-कदम मिलाकर चलने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण का महत्व भी बालक के जीवन में उसी प्रकार है जिस प्रकार समाज का है, क्योंकि समाजीकरण के द्वारा ही वह समाज का अभिन्न अंग और सक्रिय सदस्य बनता है।

परिवार की परिभाषा एवं अर्थ

परिभाषा : परिवार का महत्व बालक के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि वह अपना प्रथम रुदन, हँसना और उँगली पकड़कर चलना भी परिवार में ही सीखता है। परिवार को गृह, कुटुम्ब, गेह, सदन, घर इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह समाज की आधारभूत तथा

महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार के लिए अंग्रेजी में 'Family' (फैमिली) शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो 'Famlus' से निष्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है–'नौकर' (Servant)।

Family ⟶ Famulus = Servant

परन्तु वर्तमान में परिवार से तात्पर्य 'नौकरी' शाब्दिक अर्थ न लेकर इसका अर्थ होगा–परिवार ऐसी आधारभूत है जहाँ रक्त सम्बन्धियों, जैसे–माता-पिता, दादा-दादी, बुआ, चाचा-चाची तथा चचेरे भाई-बहिन इत्यादि साथ-साथ निवास करते हैं।

अर्थ : परिवार के अर्थ के और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषाएँ अग्र प्रकार दृष्टव्य हैं:

1. **क्लेयर** के अनुसार–"परिवार से हम सम्बन्धों की वह व्याख्या समझते हैं जो माता-पिता तथा उनकी सन्तानों के मध्य पायी जाती है।"

"By family we mean a system of relationship octstiny between parents and children."

1. **क्लेयर** के अनुसार–"परिवार से हम सम्बन्धों की वह व्याख्या समझते हैं जो माता-पिता तथा उनकी सन्तानों के मध्य पायी जाती है।"

"By family we mean a system of relationship octstiny between parents and children."

2. **मैकाइवर** तथा **पेज** के अनुसार–"परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से लैंगिक सम्बन्ध पर आधारित होता है तथा जो इतना स्थायी होता है कि इसके द्वारा बालकों के जन्म तथा पालन-पोषण की व्यवस्था हो जाती है।"

"The family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and endring to provide for the procreation and upbringing of children."

परिवार की विशेषताएँ (Characteristics of family) : उपर्युक्त विवेचन से परिवार की निम्नांकित विशेषतायें दृष्टिगत होती हैं :

1. परिवार में सहयोग तथा मिल-जुलकर रहने से लिंगीय भेदभावों में कमी आती है।
2. बालक की प्राथमिक पाठशाला है।
3. लैंगिक सम्बन्ध पर आधारित ।
4. पालन-पोषण तथा भरण-पोषण हेतु उत्तरदायित्वों का पालन किया जाता है।

परिवार के प्रकार

(Types of family)

परिवार के प्रकारों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार कर सकते हैं–

परिवार के प्रकार

- रहने वालों के आधार पर
  - संयुक्त परिवार
  - एकाकी परिवार
- सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर
  - गतिशील परिवार
  - रूढ़िवादी परिवार

परिवार का प्रकार उपर्युक्त में से चाहे जिस प्रकार का हो, परन्तु उसके महत्व और आवश्यकता की अनदेखी कदापि नहीं की जा सकती है। परिवार की आवश्यकता तथा महत्व निम्न प्रकार हैं–

1. परिवार बालकों के लालन-पालन और पोषण का कार्य करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

2. परिवार बालक के सामाजिक, सांवेगिक, मानसिक, शारीरिक, भाषायी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

3. परिवार में बालकों का विकास स्वाभाविक रूप से सम्पन्न होता है।

4. कर्त्तव्यनिष्ठा, त्याग, ईमानदारी, सहयेाग तथा परोपकार जैसे गुणों का विकास करने की दृष्टि से परिवार महत्वपूर्ण है।

5. जाति-पाँति, अमीर-गरीब, ऊँच-नीच के भावों की समाप्ति बालकों में परिवार के द्वारा ही हो सकती है।

6. पीढ़ी-दर-पीढ़ी किये जाने वाले उद्योग-धन्धों, सांस्कृतिक परम्पराओं को जीवित रखने की दृष्टि से परिवार महत्वपूर्ण है।

7. परिवार के द्वारा बालकों में संकीर्ण विचारों की अपेक्षा व्यापक विचार तथा मानवता की अवधारणा पर बल दिया जाता है।

परिवार के महत्व विषयी विद्वानों के कुछ विचार दृष्टव्य हैं :

1. **लॉरी** के अनुसार–"शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है।"

2. **एच. सी. एण्डरसन** के अनुसार–"हमारे अपराधियों में से 80% असहानुभूतिपूर्ण घरों से आते हैं।"

3. **रूसो** के अनुसार–"शिक्षा जन्म से प्रारम्भ होत है तथा माता उपयुक्त परिचायिका है।"

4. **फ्रोबेल** के अनुसार–"मातायें बालकों की आदर्श गुरु होती हैं तथा परिवार द्वारा प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली और प्राकृतिक होती है।"

5. **पेस्टालॉजी** के अनुसार–"परिवार प्यार तथा स्नेह का केन्द्र, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान, बालक का प्रथम विद्यालय है।"

6. **के. जी. सैयदेन** के अनुसार–"व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि ये सभी वातावरण परिवार के अच्छे रीति-रिवाजों पर आधारित हैं जो इनका व्यक्ति की विचारधारा और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा तथा उसकी शिक्षा न केवल उसके लिए अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए लाभप्रद होगी।"

7. **मेजिनी** के अनुसार–"बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन एवं पिता के संरक्षण के बीच सीखता है।"

8. **रेमॉण्ट** के अनुसार–"घर ही वह स्थान है, जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी विशेष सहानुभूति है। घर में ही घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यहीं बालक उदारता और अनुदारता निःस्वार्थ और स्वार्थ, न्यास और अन्यास, सत्य और असत्य, परिश्रम तथा आलस्य में अन्तर सीखता है। यहीं उसमें इनमें से कुछ की आदत सबसे पहले पड़ती है।"

परिवार के कार्य
(Functions of family)

शिक्षा की दृष्टि से परिवार को अनौपचारिक अभिकरणों के अन्तर्गत रखा जाता है, परन्तु बालकों की शिक्षा और समग्र विकास का कार्य परिवार में सम्पन्न होता है। पारिवारिक वातावरण ही बालक का भविष्य सुनिश्चित करता है। परिवार के कुछ कार्य निम्न प्रकार हैं–

- मानसिक विकास का कार्य
- संवेगात्मक विकास का कार्य
- भाषायी विकास का कार्य
- रुचियों तथा आदतों के विकास का कार्य
- जन्मजात प्रवृतियों के विकास का कार्य
- सहयोग, शान्ति, सद्भाव तथा प्रेम के विकास का कार्य

लिंग का अर्थ (Meaning of gender) : लिंग हेतु अंग्रेजी में 'Gender' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। लिंग से तात्पर्य स्त्री-पुरुष से है। व्याकरण में भी लिंग का उल्लेख मिलता है जहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग के द्वारा स्त्रियों का बोध, पुल्लिंग द्वारा पुरुष तथा नपुंसकलिंग इन दोनों के अतिरिक्त प्रयुक्त होता है। कुछ इसी प्रकार हमारे समाज में भी लिंगीय व्यवस्था जिनमें स्त्री तथा पुरुष दो लिंग हैं एवं अभी हाल ही में तृतीय लिंग (Third gender) को भी मान्यता प्राप्त हुई है। लिंग व्यक्ति के हाथ में न होकर ईश्वरीय कृति है, परन्तु विज्ञान की प्रगति के परिणामस्वरूप वर्तमान में लिंग परिवर्तन कराया जा रहा है।

भारत में लिंगीय अवधारणा प्राचीन काल में स्वस्थ थी। बालक तथा बालिकाओं दोनों में भेदभाव नहीं किया जाता था तथा बराबरी का अधिकार प्राप्त था, परन्तु बाद में लिंगीय अवधारणा अत्यधिक जटिल और दूषित हो गयी जिस कारण से स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन समझकर उनके अधिकारों की अवहेलना की जाने लगी। वर्तमान में शिक्षा के द्वारा

जागरूकता का प्रसार करके स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आँकड़ों के अनुसार स्त्रियों की उपेक्षा के कारण प्रतिवर्ष अर्थव्यवस्था को 920 करोड़ का नुकसान हो रहा है और जिन देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर दर्ज की गयी है तथा जहाँ 10 प्रतिशत बालिका नामांकन में वृद्धि हुई वहाँ 3% GDP में वृद्धि हुई।

लिंगीय विभेद के कारण

(Causes of Gender Descrimination)

लिंगीद भेदभावों का जन्म आज से नहीं अपितु काफी समय पूर्व से ही चला आ रहा है। विभिन्न कालों में लिंगीय विभेद के कारणों का वर्णन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

मुस्लिम काल से पूर्व लैंगिक विभेद के कारण	मुस्लिम काल में लैंगिक विभेद के कारण	आधुनिक काल में लैंगिक विभेद के कारण
* साम्राज्य की सुरक्षा	* पर्दा प्रथा	* दोषपूर्ण पाद्यक्रम
* वंश चलाने हेतु	* विदेशी आक्रमण के कारण	* आर्थिक समस्या
* स्त्रियों की रक्षा आदि	* स्त्रियों को विलास की वस्तु मात्र मानना	* मनोवैज्ञानिक कारण
* उत्तरदायित्वों का वहन	* अशिक्षा	* सामाजिक कुप्राथायें
* पुरुषों के द्वारा किये जाने से उनके प्रति सम्मान में धीरे-धीरे कमी	* शारीरिक शिक्षा का अभाव	* संकीर्ण विचारधारा
	* सांस्कृतिक कारक	* पुरुष-प्रधान समाज
	* सांस्कृतिक कारक	* सरकारी उदासीनता
		* अशिक्षा
		* लड़की पराया धन

इस प्रकार लैंगिक भेदभावों की जड़ें अत्यन्त गहरी हैं, परन्तु इसके लिए सर्वाधिक दोषी हमारी मानसिकता है। यदि किसी घर के चार पुत्र हों तो वह स्वयं को मजबूत मानता है और यदि कहीं दो बेटियाँ भी हो गयीं तो वह परिवार अपने अस्तित्व को समप्तप्राय: समझकर चलने लगता है। अत: हमें बेटियों को अभिशाप न मानकर उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़कर परिवार के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

समाज, समाजीकरण, लिंग तथा परिवार

(Society, Socialization, Gender and Family)

समाज, समाजीकरण में लिंगीय आधार पर क्या कोई भेदभाव पाया जाता है तो इसका एक ही उत्तर है–हाँ। समाज में प्राय: बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है जिसके कारण उन्होंने बाह्य क्रियाकलापों, लोगों से मिलने-जुलने के कम ही अवसर प्रदान किये जाते हैं, जिससे उनकी समाजीकरण की गति मन्द होती है। समाज, समाजीकरण में लिंग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज और उसका ताना-बाना स्त्री-पुरुषों के इर्द-गिर्द ही बुना हुआ है। लिंग की भूमिका को परिवार चाहे तो समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया में सशक्त बना सकता है। प्रत्येक प्रकार के भेदभाव

और असमानता की नींव परिवार से ही प्रारम्भ होती है। परिवार में यदि लिंगीय भेदभाव के आधार पर बालिकाओं को बाहर निकलने, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की मनाही, शिक्षा ग्रहण करने इत्यादि से यदि रोका जायेगा तो उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया बालकों से कम होगी। समाज और समाजीकरण का आधार परिवार ही है। परिवार की मान्यतायें, आदर्श और मूल्य जैसे होंगे वैसा ही समाज का स्वरूप और उसके सदस्यों का समाजीकरण होगा। परिवार ऐसा क्या करे कि समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव न्यून हो जाये। इस समस्या का समाधान निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत दिया जा सकता है–

समाज, समाजीकरण में लिंग की सशक्त भूमिका हेतु परिवार के कार्य एवं उत्तरदायित्व

→ 1. समानतापूर्ण व्यवहार
→ 2. व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण
→ 3. पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में समान सहभागिता
→ 4. व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा
→ 5. महिला सशक्तिकरण का आदर्श प्रस्तुत करना
→ 6. सामाजिक वातावरण में बदलाव

1. समानतापूर्ण व्यवहार : सामाजिकता की प्रथम पाठशाला परिवार ही है। यदि पिरवार में लिंग के आधार पर भेदभाव कर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को उपेक्षित किया जाता है तो समाज में उनको कभी भी समान स्थान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बालिकाओं को परिवार में बालकों के समान भोजन, वस्त्र, खेलने, पढ़ने के लिए तथा सोने के लिए उपयुक्त स्थान, सामाजिक कार्यों में भाग लेने तथा समान रूप से शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति करानी चाहिए। इस पर यदि भेदभाव किया गया तो असमानता को जो अंकुर परिवार अपने बच्चों में डालता है वह भविष्य में विष-वृक्ष के रूप में समाज को नुकसान पहुँचाता है।

2. व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण : पारिवारिक सदस्यों का दृष्टिकोण लिंगीय विषयों के प्रति उदार होना चाहिए। संकीर्ण तथा अनुदार दृष्टिकोण वाले परिवारों में बालिकायें अपने घरवालों का दृष्टिकोण जानकर सदैव दबी-सहमी रहती हैं तथा भय के कारण उनका बाहर आना-जाना तथा किसी से मिलना-जुलना नहीं हो पाता, जिससे वे समाज में निवास करते हुए भी समाजीकरण की प्रक्रिया से अछूती ही रह जाती है। परिवार में माँ, चाची, दादी इत्यादि के द्वारा भी बालिकाओं को सदैव उनके बालिका होने की हद में रहने की चेतावनी दी जाती है। बालिकायें स्वयं देखती हैं कि पारिवारिक मामलों में पिता, चाचा, दादा और भाई में सलाह कर लेते हैं, पर औरतों की राय लेना कोई तनिक भी आवश्यक नहीं समझता है, परन्तु यदि इसके विपरीत पारिवारिक सदस्यों का दृष्टिकोण यदि व्यापक हो घर में महिलाओं की इच्छा-अनिच्छा और निर्णयों को महत्व दिया जायेगा तो लिंगीय भेदभावों में कमी आयेगी तथा बालिकाओं के समाज में स्थान तथा समाजीकरण की गति में तीव्रता आयेगी।

3. पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में समान सहभागिता : परिवार को सभी प्रकार के घरेलू तथा ब्राह्म उत्तरदायित्वों का वितरण समान सहभागिता के आधार पर करना चाहिए, न कि लिंगीय आधार पर। अधिकांश परिवारों में बालिकाओं के लिए एक लक्षण रेखा खींच दी जाती है जिससे उनका समाजीकरण अवरुद्ध हो जाता है। अतः पारिवारिक कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का जब समान रूप से विभाजन होगा तो आगे चलकर अभिभावकों को अपने बालकों से यह शिकायत नहीं होगी कि लड़का काम नहीं करना चाहता है । अतः प्रारम्भ से ही उत्तरदायित्व और कार्य के प्रति समुचित दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।

4. व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा : व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने का कार्य दो पकार से सम्पन्न कर सकता है। प्रथम–बालक–बालिकाओं में घरेलू कार्यों, परम्परागत व्यापार आदि कार्यों का प्रशिक्षण देकर, व्यावसायिक कुशलता तथा श्रम के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास करके और द्वितीय–बालक और बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के उनकी रुचि के अनुरूप औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर। प्रश्न यह उठता है कि परिवार के इस कार्य से लिंगीय भेदभावों में कमी कैसे आयेगी और बालिकाओं को समाज में उनका स्थान तथा समाजीकरण किस प्रकार सम्पन्न होगा? यह स्पष्ट ही है कि वर्तमान युग भौतिकता का युग है तथा अर्थ की संस्कृति है। ऐसे में सक्षम व्यक्ति ही समाज के लिए उपयोगी है चाहे वह बालक हो या बालिका व्यावसायिक दक्षता के कारण लोगों से मिलने-जुलने तथा सम्पर्क स्थापित करने में गति आती है जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं की सामाजिकता का दायरा भी बढ़ता है।

5. महिला सशक्तिकरण का आदर्श प्रस्तुत करना : पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिला सशक्तिकरण की मिशाल तथा आदर्श का प्रस्तुतीकरण अपने परिवार की महिलाओं के सशक्तिकरण के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए। यदि प्रत्येक परिवार महिलाओं के सशक्तिकरण की मिशाल बन जाये तो फिर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव जो बालिकाओं की समाज में प्रभाविता और सामाजिकता पर पड़ता है, उसका नामोनिशान मिट जायेगा।

6. सामाजिक वातावरण में बदलाव : यदि कोई परिवार सुशिक्षित और जागरूक है और वह लिंगीय भेदभाव न करके बालिकाओं को बालकों के ही समान अवसर प्रदान करता है तो ऐसे परिवार को सामाजिक वातावरण से जूझना पड़ता है, जिससे लोग बेटियों को आगे बढ़ाने के पहले ही सामाजिक असहयोगात्मक वातावरण के विषय में सोचकर भयभीत हो जाते हैं। परन्तु हिम्मत न हारते हुए परिवार को यह पहल करनी चाहिए तभी हमारा सामाजिक वातावरण बदलेगा। वैसे भी आज हम खुद को यदि सभ्य समाज के निवासी कहकर गर्व करते हैं तो इस बात पर विचार और कार्य करना आवश्यक है कि इस सभ्य समाज में महिलायें कहाँ पर स्थित हैं।

समाज द्वारा समाजीकरण में लिंग की भूमिका के सशक्तिकरण के साधन के रूप में परिवार की प्रभाविता हेतु सुझाव :

समाज में, समाजीकरण की प्रक्रिया में लिंगीय अभेदपूर्ण तथा सशक्तिकरण के कार्य में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। इसको बालिकाओं की सामाजिक स्थिति तथा सामाजिकता में प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव निम्न प्रकर दिये जा सकते हैं:

1. महिलाओं को समुचित मान-सम्मान प्रदान कर परिवार द्वारा बच्चों के समक्ष आदर्शों का प्रस्तुतीकरण करना।

2. परिवार को सामाजिक परिवेश को सुरक्षित बनाकर बालिकाओं की सामाजिकता में वृद्धि की जानी चाहिए।

3. परिवार को लचीला तथा उदारीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे स्त्रियों को समुचित स्थान प्रापत हो सके।

4. सामाजिक क्रियाकलापों में महिलाओं को सहभागी बनाकर।

5. परिवार को राज्य पर तथा प्रशासन पर बालिका सुरक्षा और शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए।

समाज तथा समाजीकरण में लिंग की भूमिका–जाति के सन्दर्भ में

(Role of gender in society and socialization with for reference to caste)

समाज के स्तरीकरण (Stratification) में जाति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन कालीन समाज में जाति न होकर वर्ण-व्यवस्था का प्रचलन था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के आधार पर वर्ण थे। वर्ण-व्यवस्था के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका आधार कम था न कि जन्म। इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था परिवर्तनीय तथा उदार थी। जाति जटिल प्रक्रिया तथा स्वरूप है। जाति के अर्थ के स्पष्टीकरण हेतु कुछ परिभाषायें दृष्टव्य हैं–

1. शाब्दिक अर्थ : जाति अर्थात् जिसमें व्यक्ति उत्पन्न हो। इस प्रकार जाति वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है अर्थात् जाति का आधार कर्म न होकर जन्म होता है।

जाति के लिए आंग्ल भाषा में 'कास्ट' (Caste) शब्द का प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ होता है–'प्रजाति, जन्म या नस्ल'। 'कास्ट' शब्द लैटिन के 'Casts' से लिया गया है, जिसका अर्थ है–विशिष्ट, अमिश्रित या प्रजाति । दृष्टव्य है :

हिन्दी		लैटिन		अंग्रेजी		
जाति	=	Casts	=	Caste	=	प्रजाति, जन्म या नस्ल ।
		↓				
		विशिष्ट, अमिश्रित, प्रजाति				

संक्षेप में जाति वंशानुक्रम पर आधारित एक विशेष सामाजिक समूह है जिसका सदस्य व्यक्ति जन्म से हो जाता है और यह अपरिवर्तनीय और वंश-परम्परा से चली आ रही होती है।

2. परिभाषीय अर्थ : जाति की अवधारणा को और अधिक स्पष्टीकरण हेतु विद्वानों द्वारा प्रदान की गयी कुछ परिभाषायें दृष्टव्य हैं :

सी. एच. कूले के अनुसार–"जब कोई वर्ग पूर्णतया वंशानुगत हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं।"

"When a class is same what strictly, heredity, we call it caste."

ब्लण्ट के अनुसार–"जाति एक अन्तर्विवाहों वाले समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता जन्मजात है और जो सामाजिक सम्बन्धों के लिए अपने सदस्यों के ऊपर कुछ नियन्त्रण लगाती है, एक सामान्य परम्परागत व्यवसाय का अनुकरण करती है, नियन्त्रणों की उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्य रूप से एक सजातीय समूह का निर्माण करने वाली समझी जाती है।"

"A caste is endogamous group of collection of endogamous groups bearing a common name membership of which is hereditary, impases only members certain restriction in the matter of social intercourse either following a common traditional occupation of claiming a common origin and generally regarded as forming a single homogeneous community."

ई. ए. ग्रेट के अनुसार–"जाति को एक अन्तर्विवाह वाले समूह अथवा ऐसे समूहों के संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका एक सामान्य नाम तथा समान परम्परागत व्यवसाय होता है जो एक ही स्रोत से उत्पन्न होने का दावा करते हैं और सजातीय समुदाय का निम्रण करने वाले समझे जाते हैं।"

"It may be defined an endogamous group of collection of such group's bearing a common name, having the same traditional occupation, claiming descent from the same source and commoly regarded as formings single homogeneous community."

जाति की विशेषताएँ
(Characteristics of Caste)

उपर्युक्त परिभाषाओं तथा अर्थ के स्पष्टीकरण द्वारा जाति की सामान्य तथा विद्वानों द्वारा बतायी गयी विशेषतायें निम्न प्रकार दृष्टिगत होती हैं–

1. डॉ. घुरिये के अनुसार जाति की विशेषताएँ–

(i) सामाजिक स्तरण ।

(ii) नगरीकरण का प्रभाव।

(iii) नवीन सामाजिक इकाइयों का उदय।

(iv) नवीन अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिकीकरण ।

(v) सामाजिक अधिनियमों तथा कानूनों का प्रभाव।

2. जाति की सामान्य विशेषताएँ :

(i) यह जन्मजात व्यवस्था होती है।

(ii) जाति वंशानुगत होती है।

(iii) सजातीय समूहों का निर्माण होता है।

(iv) सभी जातियों द्वारा कुछ सामान्य परम्पराओं का अनुसरण किया जाता है।

(v) जातियों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना की जाती है।

3. श्री दत्ता के अनुसार जाति की विशेषताएँ :

(i) प्रत्येक जाति के लोग अपनी ही जातियों के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

(ii) अन्य जातियों के साथ खाने-पीने तथा उठने-बैठने पर प्रतिबन्ध होता है।

(iii) जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

जाति की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर जाति के कार्य तथा समाज में उसके महत्व के विषय में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है।